संख्या : 35 / आठ–1–18–185 विविध/2010

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2018**

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2680/9–आ–1–98–42 विविध/96, दिनांक 31 अगस्त, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम–1995 में विहीत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्रस्तर–7 में की गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 1998 में दिव्यांगजन हेतु 03 प्रतिशत किये गये क्षैतिज आरक्षण को संशोधित करते हुए 05 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिव्यांगजन हेतु की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ.प्र. शासन।
2. आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उ.प्र. लखनऊ।
3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।

आज्ञा से

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।